

भाग-2

1	परियोजना / स्कीम का नाम	सहारनपुर शहरी गैस वितरण परियोजना ; भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 8"/6"/4" व्यास की भूमिगत प्राकृतिक गैस पाईप लाईन, सडकों के समांतर जो की संरक्षित वन जाहेर किये हुए है, 6.207 हे० संरक्षित वन प्रभावित हो रही है, में पाईपलाईन डालने हेतु अनुमति का प्रस्ताव,
(प)	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	उ०प्र०
(पप)	जिला	सहारनपुर
(पपप)	वन प्रभाग	समाजिक वानिको प्रभाग, सहारनपुर
(पअ)	वनोत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे०) में	6.207 हे०
(अ)	वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित वन भूमि
(अप)	हरियाली का घनत्व	
(अपप)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि क्षणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्नक की जायें) सिंचाई / जलीय परियोजना के संबंध में एक और एल०एफ० और एल०-2 मीटर पर परिगणना और आर०एल०-4 मीटर भी संलग्न किये जाये।	विभिन्न प्रजाति के वृक्ष पातन हेतु प्रस्तावित है।
(अपपप)	भूरक्षण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	भू-क्षरण के लिए संवेदनशील है।
(पग)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	लगभग 50 कि.मी.
(ग)	क्या फार्म, उद्यान वन्यजीव, अभ्यारण्य, जैवमण्डल रिजर्व बाघ, रिजर्व हाथी काराडोर आदि का भाग है। (यदि हों, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीवनकार्ड का टिप्पणियों अनुबंधित की जायें।)	नहीं
(गप)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और दुर्लभ / संकटापन्न / विषिष्ट प्रजातियाँ पाई जाी है। यदि हों तो तत्संबंधी ब्यौरा दे।	नहीं
(गपप)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय / पारम्परिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हों तो तत्संबंधी सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दे।	नहीं अतः अनापत्ति अपेक्षित नहीं है।
8	प्रयोक्ता एर्जेन्सी द्वारा भाग-1 कॉलम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जाँचे गये विकल्पों के ब्यौरे के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	परियोजना हेतु 6.207 हे० वन भूमि की मांग अपरिहार्य एवं न्यूनतम है।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हों, तो कार्य की अवधि दोशी अधिकारियों पर की कार्यवाही वन ब्यौरा दें तथा उल्लंघन संबधी अभी भी चल रहा है।	नहीं प्रमाण पत्र संलग्न है।

10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम वन ब्यौरा।	-
(प)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र / अवकमित वन क्षेत्र आस-पास के वन से इसकी दूरी भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	प्राक्लन संलग्न है।
(पप)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र / अवकमित वन क्षेत्र आस-पास के वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	मैप संलग्न है।
(पपप)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि।	
(पअ)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय	प्राक्लन संलग्न है।
(अ)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्ता के बारे में प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये)।	प्रमाणपत्र संलग्न है।
11	जिला / उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कॉलम 7,8,9, से पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये संलग्न करें।	
12	विभाग / जिला प्रोफाइल	समाजिक वानिकी प्रभाग, सहारनपुर
(प)	जिले के भौगोलिक क्षेत्र	2860 वर्ग कि०मी०
(पप)	जिले का वन क्षेत्र	33229.46 हे०
(पपप)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	245.7872 है.
(पअ)	1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक	-
क	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	-
ख	वनेत्तर भूमि पर दि० 11.7.16. तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति	1.63 है.
13	प्रस्ताव की स्वीकृति करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उपवन संरक्षक विशेष सिफारिश।	- जनहित में संकल्पित की जाती है।

दिनांक:- 15.02.18

स्थान:-सहारनपुर।

dr 15.02.18
(विजय सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
समाजिक वानिकी प्रभाग,
सहारनपुर।
प्रभागीय निदेशक
समाजिक वानिकी प्रभाग
सहारनपुर